

25/9/10 पत्रावलीपेशा। वादी अनुपाख्येत। वादी वकील अनुपाख्येत।
 न्यायालय समय में अलग-अलग समय पर भावने
 लगाई गई। कोई उपाख्येत नहीं। अब पुंति न्यायालय
 समय लगात होने जा रहे हैं अतः पुनः न्याय
 दित में एक बार वादी पक्ष को भावने में की गई। कोई
 उपाख्येत नहीं। अतः पत्रावली वादी पक्ष को अस्म
 दानरी व अदग परी में खारिज किया जा रहा है
 पत्रावली शुमार कसल से अब नम्बर से कम
 होकर लगभग करिबन एकतर हो।

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक)
 जोधपुर